न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 48/2018

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
01.चौथाराम पुत्र अणदाराम जाति जाट निवासी गाव धिगाणा तहसील लूणी जोधपुर।		01.चिमनाराम पुत्र परसाराम जी 02.शंकरलाल पुत्र परसाराम जी 03.सोहनलाल पुत्र परसाराम जी 04.पानी देवी पुत्री परसाराम जी 05.नारायणी पुत्री परसाराम जी 06.कमली पुत्री परसाराम जी 07.शान्ति पुत्री परसाराम जी 08.काली देवी पत्नि परसाराम जी जातियान सरगरा निवासी ग्राम धीगाणा तहसील लूणी जोधपुर 09.जोधपुर विकास प्राधिकरण जरिये सचिव 10.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी।

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ।

उपस्थिति –

01.प्राथी की और से अधिवक्ता श्री हनुमान प्रजापत ।
02.अप्रार्थीगण की और कोई अधिवक्ता उपस्थिति नही ।

आदेश दिनांक :– 20-01-2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी पेशे से काश्तकार है प्रार्थी की खातेदारी की कब्जा काश्त सुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 194 वाके ग्राम धीगाणा पटवार क्षेत्र खाराबेरा तहसील लूणी मे आई हुई है जिस पर प्रार्थी बहैसियत खातेदार काबिज है प्रार्थी के उपरोक्त खातेदारी के भूमि के उत्तरी पुर्वी दिशा मे खसरा नम्बर 192 की भूमि आई हुई है। जिसमे से जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम से दर्ज है तथा 192/5 के रूप मे अप्रार्थी संख्या 1 से 8 गैर खातेदार के रूप मे काबिज है वर्तमान भौतिक रूप से खसरा नम्बर 194 के उत्तरी पूर्वी दिशा मे अप्रार्थी संख्या 1 से 8 काबिज है उससे आगे खसरा नम्बर 192 मे से एक रास्ता जो कि बाणियावास से पाबूपुरा कुम्हारो की ढाणी की ओर जाता है जो मौके पर रास्ता के रूप मे चल रहा हैउक्त रास्ते को होकर प्रार्थी खसरा नम्बर 192/5 मे से होते हुए अपने खातेदारी की कृषि भूमि मे प्रवेश करता है उक्त स्थिति को दर्शित करते हुए एक नजरी नक्शा प्रार्थना पत्रके साथ पेश किया गया जिसे इस प्रार्थना पत्र का भाग समझा जावे। उपरोक्त नजरी नक्शे मे लाल रंग से दर्शित मार्क ए से बी व बी से सी प्रस्तातिव रास्ता है जिसे प्रार्थी राजस्व रेकर्ड मे गैर मुमकीन रास्ते के रूप मे प्राप्त करने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया प्राथी के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 194 म जाने के लिए कोई भी वैकल्पित रास्ता नही है प्राथी नजरी नक्शे मे वर्णित भूमि मे से होते हुए भी अपने भूमि पर जाता है जो रास्ता प्रार्थी की भूमि के लिए लधूतम एवम निकटतम रास्ता है तथा प्रार्थी को रास्ते की अत्यन्तीक आवश्यकता है जिसके नही होने से प्रार्थी अपने खातेदारी अधिकारी का उपयोग नही कर पा रहा है ऐसी स्थिति मे

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

प्रार्थी को प्रस्तावित रास्ता दिया जाकर नये मार्ग के रूप मे आदेश पारित करना कानून एव न्याया सगंत है प्रार्थी को उपरोक्त वर्णित अपनी कृषि भूमि के लिए संलग्न नक्शे मे लाल स्याही से दर्शाये 18 फुट चौडाई मे मार्ग को दिलाये जाने हेतु प्रार्थी को रास्ते उपलब्ध करने हेतु प्रार्थी द्वारा न्यायालय मे प्रार्थना पत्र पेश किया है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये लेकिन उनकी तरफ से कोई हाजिर नहीं हुए । तहसीलदार लूणी द्वारा मौका रिपोर्ट तलब की गयी जो शामिल मिशल हैं । तहसीलदार लूणी की रिपोर्ट में खसरा संख्या 192/5 को गैर खातेदारी भूमि बताया है तथा यह संलग्न जमाबंदी में स्पष्ट हैं।

बहस सूनी गई तथा बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

ऐसी स्थिति मे धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्पष्ट प्रावधान है कि किसी खातेदार की जोत मे पहुचने का कोई रास्ता न हो तथा वैकल्पिक साधन का अभाव होने एव रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता होने पर अन्य खातेदार की जोत में से लधुतम एव निकटतम मार्ग उपलब्ध करवाया जा सकता है। उक्त प्रकरण मे प्रार्थीगण के अभिवचन /बहस एव तहसीलदार लूणी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मे स्पष्ट बताया गया है कि प्रार्थीगण जिस जोत में से रास्ता चाहता है वह जोत गैर खातेदारी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों ।

(पुखराज कांसोटिया) RAS
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी